



प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन (संशोधन) नयिम, 2022

प्रलिस के लयि:

सगल यूज प्लास्टिक और इसके उपयोग, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रसिपॉन्सबिलिटी (EPR), पेरसि एग्रीमेंट, नेट ज़ीरो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (संशोधन) नयिम, 2022 ।

मेन्स के लयि:

सगल यूज प्लास्टिक और संबंधति चिताएँ, सगल यूज प्लास्टिक के वकिल्प की आवश्यकता, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (संशोधन) नयिम, 2022 और इसका महत्त्व ।

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन (संशोधन) नयिम, 2022 की घोषणा की, जसिने प्लास्टिक पैकेजि के लयि [वसितारति उत्पादक ज़मिमेदारी \(EPR\)](#) पर नरिदेशों को अधसिचति कयिा ।

- प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नयिम 2016 में [एकल-उपयोग प्लास्टिक \(SUP\)](#) के उनमूलन और वकिल्पो को बढावा देने के लयि संशोधन कयिा गया है ।
- वसितारति उत्पादक ज़मिमेदारी शब्द का अर्थ उत्पाद के जीवन के अंत तक पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के लयि एक नरिमाता की ज़मिमेदारी से है ।

प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन नयिम, 2016

- यह प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक कचरे को फ़ैलने से रोकने और अन्य उपायों के बीच स्रोत पर कचरे का अलग भंडारण सुनशिचति करने के लयि कदम उठाने पर ज़ोर देता है ।
- नयिम प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन हेतु स्थानीय नकियाँ, ग्राम पंचायतों, अपशषिट उत्पादक, खुदरा वकिरेताओं और पुटपाथ वकिरेताओं के लयि भी ज़मिमेदारियों को अनविर्य करते हैं ।

नए नयिमों के तहत प्रावधान:

- प्लास्टिक का वर्गीकरण:
 - श्रेणी 1: कठोर प्लास्टिक पैकेजि ।
 - श्रेणी 2: सगल लेयर या मल्टीलेयर की लचीली प्लास्टिक पैकेजि (वभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के साथ एक से अधिक परत), प्लास्टिक शीट और प्लास्टिक शीट से बने कवर, क़ैरी बैग, प्लास्टिक पाउच या पाउच आदि ।
 - श्रेणी 3: बहु-स्तरीय प्लास्टिक पैकेजि (प्लास्टिक की कम-स-कम एक परत और प्लास्टिक के अलावा अन्य सामग्री की कम-से-कम एक परत) को इस श्रेणी में शामिल कयिा गया है ।
 - श्रेणी 4: पैकेजि के लयि उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक शीट या [कंपोस्टेबल प्लास्टिक](#) से बने क़ैरी बैग इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ।
- प्लास्टिक की पैकेजि:
 - पैकेजि हेतु प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को कम करने के दशिा-नरिदेशों में कठोर प्लास्टिक पैकेजि सामग्री का पुनः उपयोग अनविर्य कयिा गया है ।
 - EPR के तहत एकत्रति प्लास्टिक पैकेजि कचरे के पुनर्चकरण की प्रवर्तनीय वर्धि के साथ-साथ पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सामग्री के उपयोग से प्लास्टिक की खपत में कमी आएगी और प्लास्टिक पैकेजि कचरे के पुनर्चकरण में मदद मलैगी ।
- वसितारति नरिमाता उत्तरदायतिव प्रमाणपत्र:
 - ये दशिानरिदेश अधशिष वसितारति उत्पादक उत्तरदायतिव प्रमाणपत्रों की बकिरी एवं खरीद की अनुमति देते हैं ।
 - इससे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन हेतु एक बाजार तंत्र वकिसति होगा ।
- केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल:

- सरकार ने 31 मार्च, 2022 तक प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों, प्लास्टिक कचरा प्रसंस्करणकर्ताओं हेतु वार्षिक रिटर्न दाखल करने के साथ-साथ पंजीकरण के लिये **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** द्वारा एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल स्थापित करने का भी आह्वान किया है।
 - यह प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग के लिये EPR के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों एवं दशा-नरिदेशों के संबंध में एकल डेटा भंडार के रूप में कार्य करेगा।
- **पर्यावरण मुआवज़ा:**
 - पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा एवं सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, न्यंत्रित करने एवं कम करने के उद्देश्य से उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों से लक्ष्यों को पूरा न करने के संबंध में प्रदूषक भुगतान सदिधांत' के आधार पर पर्यावरणीय मुआवज़ा लिया जाएगा।
 - 'प्रदूषक भुगतान सदिधांत' भुगतान का दायित्व एक ऐसे व्यक्ति पर डालता है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इससे पर्यावरण को ह्यु नुकसान की भरपाई की जा सकेगी।
- **उपायों की सफारिश करने हेतु समिति:**
 - CPCB अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित एक समिति EPR के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पर्यावरण मंत्रालय को उपायों की सफारिश करेगी, जिसमें वसितारति नरिमाता उत्तरदायित्व (EPR) दशा-नरिदेशों में संशोधन भी शामिल हैं।
- **EPR पोर्टल पर वार्षिक रिपोर्ट:**
 - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) या प्रदूषण नियंत्रण समितियों (PCCs) को राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों एवं प्लास्टिक कचरा प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा इसकी पूर्तिके संबंध में ईपीआर पोर्टल पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है।

दशा-नरिदेशों का महत्त्व:

- यह प्लास्टिक के नए विकल्पों के विकास को बढ़ावा देगा और व्यवसायों को सतत प्लास्टिक पैकेजिंग की ओर बढ़ने हेतु एक रोडमैप प्रदान करेगा।
- दशा-नरिदेश प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की चक्रीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिये एक ढाँचा प्रदान करते हैं।
 - एक चक्रीय अर्थव्यवस्था क्लोज़्ड-लूप सिस्टम नरिमति करने, संसाधनों के उपयोग को कम करने, अपशषिट उत्पादन, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु संसाधनों के पुनः उपयोग, साझाकरण, नवीनीकरण, पुनः नरिमाण और पुनर्चक्रण पर नरिभर करती है।
- यह देश में फैले प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम करने की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
 - भारत में सालाना लगभग 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2024 तक भारत के 100 शहरों में उनके प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन को लगभग तगिना करना है।
 - प्लास्टिक कचरे का संचय पर्यावरण के लिये हानिकारक है और जब यह कचरा समुद्र में जाता है तो जलीय पारस्थितिक तंत्र को भी बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचाता है।

प्लास्टिक कचरे पर अंकुश लगाने हेतु अन्य पहलें:

- [सवच्छ भारत मशिन](#)
- [इंडिया प्लास्टिक पैकेट](#)
- [प्रोजेक्ट रपिलान](#)
- [अन-प्लास्टिक कलेक्टवि](#)
- गोलटिर (GoLitter) पार्टनरशिप प्रोजेक्ट

आगे की राह:

- पूर्ण प्रतिबंध नरिमाताओं को सगिल यूज़ प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन से नहीं रोकेगा।
- यूज़-एंड-थ्रो प्लास्टिक के विकल्प तलाशने, उत्पादकों, कचरा बिनने वालों और प्लास्टिक व्यवसाय में शामिल अन्य समूहों के लिये वैकल्पिक आजीविका सुनश्चिति करने से समस्या का समाधान करने में काफी मदद मिलेगी।
- सरकार को न केवल दशा-नरिदेशों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाना चाहिये बल्कि उत्पादकों को अधिक टिकाऊ उत्पादों बनाने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। उचित नगिरानी के साथ-साथ ज़मिमेदार उपभोक्तावाद संस्कृति को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है।
- नागरिकों को भी व्यवहार में बदलाव लाना होगा तथा कचरा न फैलाकर अपशषिट पृथक्करण और अपशषिट प्रबंधन में मदद कर योगदान देना होगा।

स्रोत: द हट्टि